

अनक्लेम/अनाहरित खातों की राशियाँ RBI Dea fund में ट्रांसफर किये जाने व राशि क्लेम करने संबन्धी दिशा-निदेश इस प्रकार से है:-

1. TCS/L-1 टीम द्वारा प्राप्त अनक्लेम/अनाहरित खातेदारों की राशियाँ मुख्यालय ट्रांसफर किये जाने के पूर्व शाखा प्रबंधक संबन्धित खातेदार से यथा संभव सम्पर्क कर लिखित में सूचना देवे कि आपका खाता अनक्लेम/अनाहरित हो जाने के कारण राशि RBI Dea fund में भेजा जा रहा है ।
2. खातेदार को सूचना देने के बाद भी यदि खाता का संचालन नियमित (Active) नहीं करना चाहता हो तो राशि मुख्यालय ट्रांसफर कर देवें ।
3. अनाहरित खातेदार द्वारा राशि वापस माँग किये जाने पर खातेदार से दस्तावेज - बैंक पास-बुक, जमा रसीद, सावधि रसीद इत्यादि प्राप्त कर, वर्तमान फोटो व के.वाय.सी. अपडेशन संबन्धी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें ।
4. क्लेम वापस करने खातेदार से आवेदन अवश्य प्राप्त करें ।
5. मय दस्तावेज शाखा प्रबंधक, प्रधान कार्यालय दुर्ग को राशि क्लेम का विधिवत सूचना टीप के साथ फार्म 02 में प्रेषित करें ।
6. मुख्यालय को अनक्लेम खातेदारों का सूची फार्म 01 अन्तर्गत भेजते हुए राशि मुख्यालय BGL में ट्रांसफर करना होता है ।
7. डीफ राशि ट्रांसफर किये जाने के बाद शाखाये - शाखा के नोटिस बोर्ड में खातेदार का नाम व पता अवश्यक चस्पा करे, जब-जब राशियाँ शाखाओं द्वारा ट्रांसफर किया जावेगा, तब-तब संबन्धित खातेदारों का नाम/ पता नोटिस बोर्ड में चस्पा करना अनिवार्य होगा ।